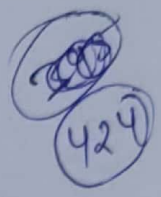

हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण

की

ऑडिट रिपोर्ट

अवधि

वर्ष 2011–12

एंव

वर्ष 2012–13

424

Scanned with CamScanner

लेखा परीक्षा प्रारूप

लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन का प्रारूप

अनुच्छेद–1

क. सूचना पत्र

विभाग का नाम :– हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण,हरिद्वार
विभाग की संरचना :– प्रशासनिक ढांचा (संरचना) संलग्नक "क" पर
क. स्वीकृत पदों की संख्या:– 63 पद
ख. भरे गये पदों की संख्या:– 54 पद
ग. बाहयस्रोतिकरण द्वारा सेवायोजित कर्मचारियों का विस्तृत विवरण:– शून्य
घ. दैनिक मजदूरों का विवरण, यदि कोई :– शून्य

विभागाध्यक्ष का नाम:– सचिव, आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून

ऑडिटी का विस्तृत विवरण उदाहरणार्थ आहरण एवं वितरण अधिकारी, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष इत्यादि:–

क. कार्यालयाध्यक्ष :– उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण हरिद्वार

एवं

मुख्य वित्त अधिकारी, हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

अंतिम लेखा–परीक्षाओं का विस्तृत विवरण (एजी तथा राज्य ऑडिट द्वारा सम्पादित, लम्बित पैराओं के विवरण सहित)

वर्ष	लेखा–परीक्षाण (एजी/राज्य लेखा–परीक्षा द्वारा)	महत्वपूर्ण अभियुक्ति	गैर महत्वपूर्ण बिन्दु	पैरा जिनके उत्तर दिये गये।	पैरा जिनके उत्तर नहीं दिये गये।	तत्संबन्धी आहूत ऑडिट कमेटी एंव निर्णय का विवरण	कुल लम्बित पैरा
07–08	राज्य लेखा–परीक्षा	00	01	01	00	–	01
08–09	राज्य लेखा–परीक्षा	00	01	01	00	–	01
09–10 से 10–11	राज्य लेखा–परीक्षा	00	07	07	00	–	07
11–12 से 12–13	राज्य लेखा–परीक्षा	00	26	26	00	–	26
योग		00	35	35	00	–	35

आयोजनेत्तर/आयोजनागत व्यय के बजट विवरण:– हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण हरिद्वार का विगत 03 वर्षों का स्वीकृत बजट एंव आय–व्यय का विवरण संलग्नक "ख" पर उपलब्ध है:–

योजनाओं का नाम /विवरण (केन्द्र पुरोनिधानित/ध्वजवाही (फ्लैगशिप) योजनाएं) :– हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण में कोई केन्द्र पुरोनिधानित/ध्वजवाही (फ्लैगशिप) योजनाएं प्रचलित नहीं हैं अतः वाछित सूचना शून्य है।

योजनाओ का नाम /विवरण (केन्द्र पुरोनिधानित/ध्वजवाही (फ्लैगशिप) योजनाएं) :– हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण में कोई केन्द्र पुरोनिधानित/ध्वजवाही (फ्लैगशिप) योजनाए प्रचलित नही हैं अतः वाछित सूचना शून्य है।

परिसम्पत्तियों की स्थिति:– हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं में तैयार की गयी परिसम्पत्तियों का विवरण संलग्नक "ग" के अनुसार ।

अनुदान/व्यय का विवरण :– प्राधिकरण में किसी प्रकार का कोई अनुदान प्राप्त नही हैं अतः वांछित सूचना शून्य है।

अनिल कुमार ...
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

422

विभागीय प्राप्तियों का विवरणः— हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण मे राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य स्रोतो से किसी भी प्रकार के कोई अंशदान की प्राप्ति नहीं हैं अतः वांछित सूचना शून्य है।

वर्ष 2015–16

	केन्द्र सरकार		राज्य सरकार		अन्य (संस्था का नाम)	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
अनुदान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

वर्ष 2016–17

	केन्द्र सरकार		राज्य सरकार		अन्य (संस्था का नाम)	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
अनुदान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2. क्रय आदेश (पीओ) /दिये गये अनुबन्धों का विवरण

पीओ0 सं0.	सामग्री/सेवा विवरण	पीओ/अनुबन्ध की तिथि	विक्रेता	राशि रू0.में	स्थिति(पूर्ण किया गया/ प्राक्रियाधीन)
1982	बोलेरो जीप ZLX 2WD 7STRBSIV	31.10.15	महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लि0. 202 द्वितीय तल के0–2 सोमदत्त टावर से0–18 नोयडा	7,16,463–00	पूर्ण किया गया
1992	बोलेरो कैम्पर PS 2WD BS4	02.11.15	महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लि0. 202 द्वितीय तल के0–2 सोमदत्त टावर से0–18 नोयडा	5,41,047–00	पूर्ण किया गया
721	इनोवा कार INNOVA CRYSTA 2.4 PACAKGE: X COLOR WHITE	21.07.2016	मैसर्स टोएटा किलोस्कर मोटर प्रा0लि0. 24 विठ्ठल माल्या रोड बैंगलोर	14,50,897–00	पूर्ण किया गया
3229	जनरेटर शाखा रूडकी शाखा ऋषिकेश	31.03.2016	मैसर्स गुप्ता इलैक्ट्रिक क0. रेलवे रोड हरिद्वार	5,07,285–00 4,56212–00	पूर्ण किया गया
1018	ए0सी0 (03नग)	08.09.2016	मेसर्स संत सेल्स, संत भवन आर्यनगर ज्वलापुर	85,950–00	पूर्ण किया गया
1444	अलमारी (12 नग)	02.11.2016	मैसर्स अग्रवाल फर्नीचर रूडकी हरिद्वार	77,288–00	पूर्ण किया गया

3. योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का विवरण

क0 सं0	योजना का नाम	.....के अधीन अनुमोदित योजना				अन्य	योजना लागत	प्रारम्भ तिथि	कार्यपूर्ति तिथि	भौतिक एंव वित्तीय तिथि
		जिला योजना	राज्य योजना	केन्द्रीय योजना	बाहय					
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4. तिथि को लम्बित ड्राफ्टों एंव चैकों का विवरण :— शून्य

5. असमायोजित अग्रिमों का विवरण

क. प्राईवेट पार्टियां :— शून्य

ख. सरकारी सेवक :— शून्य

अनिल कुमार सक्सेना
प्रशासनिक अधिकारी
हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

16. बहुपक्षीय दानदाता/उधारदाता एजेन्सीयों (आईएमएफ/विषय बैंक/एडीबी इत्यादि) के साथ हस्ताक्षरित ज्ञापनों का विवरण।

क. निधीयन (फंडिग) की राशि :– शून्य

ख. निधीयन (फंडिग) की लागत :– शून्य

ग. उधारदाता एजेन्सी के प्रति वचनबद्धता और जिम्मेदारी :– शून्य

घ. परिपक्वता तिथि :– शून्य

ड. निधीयन (फंडिग) के संदर्भ में कार्यान्वयन का सौपान :– शून्य

17. पीपीपी परियोजना का विवरण :– शून्य

सचिव,
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

निदेशक,
लेखा परीक्षा (ऑडिट) उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

उपाध्यक्ष / सचिव,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

पत्रांक-389/नि0ले0प0(ऑ0)/2014-15 दिनांक: 10/10/2014

विषय: हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की वर्ष 2011-12 व 2012-13 की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की वर्ष 2011-12 व 2012-13 की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एस0एस0नगन्याल)
संयुक्त निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या- दिनांक-

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को उपरोक्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, आवास विकास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव, वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त / अध्यक्ष गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
4. वित्त नियंत्रक, हरिद्वार, विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
5. कार्यालय प्रति।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(एस0एस0नगन्याल)
संयुक्त निदेशक।

2014
VC

A.O
19/11/14

V.P-S Letter -

Scanned with CamScanner

(1)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण

लेखा परीक्षा टीम/पार्टी का विवरण

01.04.2011 से 31.03.2013 तक की अवधि हेतु लेखा परीक्षा	
लेखा परीक्षा टीम	
लेखा परीक्षा का प्रमुख	निदेशक, लेखा परीक्षा (ऑडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
टीम प्रभारी	डॉ0 विजय लक्ष्मी, जिला सम्परीक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
टीम सदस्य	श्री गंगा सिंह रावत, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी।
टीम सदस्य	श्री महीप कुमार सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षक।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का प्रसार

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का प्रसार	
लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन	लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
प्रशासकीय विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सचिव आवश्यक, उत्तराखण्ड शासन।
विभागाध्यक्ष	अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण हरिद्वार/आयुक्त गढ़वाल मण्डल
वित्त नियंत्रक	मुख्य वित्त अधिकारी, विकास प्राधिकरण हरिद्वार।
आहरण एंव वितरण अधिकारी	उपाध्यक्ष, सचिव एवं मुख्य वित्त अधिकारी, विकास प्राधिकरण हरिद्वार।
निदेशक लेखा परीक्षा उत्तराखण्ड	लेखा परीक्षा (ऑडिट) देहरादून, उत्तराखण्ड।

Scanned with CamScanner

अनुच्छेद–2

लेखा परीक्षा कार्य प्रणाली/दृष्टिकोण (मुख्य विश्लेषण बिन्दु)

बजट:–

1:– कुल प्रावधान की तुलना में कुल व्यय का अनुपात (रू0 लाख में)– वर्ष 2011–12–18.78%

वर्ष 2012–13–21.9

2. अनुपूरक बजट का उपयोग किया गया अथवा नही– अनुपूरक बजट नहीं बना था।

3. कुल प्रावधान के सापेक्ष समर्पित राशि– लागू नहीं

4. पुनर्विनियोग का विवरण और उस पर टिप्पणियां– पुनर्विनियोग नहीं किया गया था।

5. राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित राशि और इसका उपयोग/निष्क्रिय– लागू नहीं।

6. यदि वेतन एंव भत्तों हेतु प्रावधान वास्तविकता आवश्यकता के अनुसार किया गया – हाँ।

अधिप्राप्ति–

1. अवार्ड किए गए अनुबंधों/क्रय आदेशों का विवरण जहां अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का उल्ल देखा गया– कोई नहीं।

2. प्रमुख अनावर्तक पूंजीगत मदों का विवरण जो जीर्ण–क्षीण/निष्क्रिय/काम करने की स्थिति नहीं, के रूप में पड़ी है– कोई नहीं।

3. अनिस्तारित निष्प्रयोज्य मदों का विवरण– संस्था द्वारा अनिस्तारित निष्प्रयोज्य मदों से सम्बन्धि कोई अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया।

परियोजनाएं–

1.वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए वृहद निर्माण/अवस्थापना कार्यों हेतु परियोजना लागत/टाइम ओ रन का विवरण– अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत सूर्य ग्राम डालवाला में सामुदायिक केन्द्र निर्माण कार्य भूस्वामित्व विवाद के कारण माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में निर्माण कार्य 2011 से लम्बित पाया गया।

Scanned with CamScanner

2. प्रशासनिक स्वीकृति/वित्तीय एंव तकनीकी अनुमोदन के बिना प्रारंभ की गयी परियोजनाओं का विवरण– कोई नहीं।

3. पूर्ण किए बिना, रोकी गयी परियोजनाओं का विवरण और ऐसे निर्णय हेतु कारण–अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत सूर्य ग्राम डालवाला में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य भू–स्वामित्व विवाद के कारण माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में परियोजना सम्बन्धी कार्यबंध (अनुच्छेद–3, आपत्ति क्रमांक–16)

4. निर्माण एजेन्सियों को अनियमित/अत्यधिक प्रतिशत प्रभारों (सेन्टेज चार्जेज) का विवरण– कोई नहीं।

<u>योजनाओं का मूल्यांकन</u>–

1.ध्वजवाही (फ्लैगशिप) योजनाओं के सम्बन्ध में योजना जनित सेवा, समयबद्धता और गुणवत्ता के संबंध में प्रश्नावली के लाभार्थियों से प्राप्त परिणाम– कोई नहीं।

2.ऐसी योजनाओं (सेवा क्षेत्र) का विवरण, जिनमें वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई है– कोई नहीं।

3. विभिन्न योजनाओं हेतु आउट ले के सापेक्ष आउटपुट एंव आउटकम की स्थिति– कोई नहीं।

4. सब्सिडी की स्थिति– कोई नहीं।

5. नियोजित संसाधनों की मितव्ययिता और दक्षता के सापेक्ष मूल्यांकन (अप्रैजल)– कोई नहीं।

6. कार्यों अथवा कार्यक्रमों की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राप्त परिणाम स्थापित उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के अनुरूप हैं तथा कि कार्य अथवा कार्यक्रम प्लानिंग के अनुसार निष्पादित किए जा रहे हैं।– कोई नहीं।

Scanned with CamScanner

परिसम्पतियों पर नियंत्रण–

1. सम्पतियों पर नियंत्रण हेतु उठाए गए कदम और उनकी पर्याप्तता– प्राधिकरण द्वारा सम्पत्तियों यथा आवासीय योजनाओं को सम्बन्धित स्थानीय निकाय/संस्था, को हस्तगत कर जाता है, तथा जो सम्पत्ति-स्थानीय निकाय अधिकार क्षेत्र से बाहर है अथवा किन्हीं कार हस्तगत नहीं हो पायी हैं। उनके नियन्त्रण हेतु सम्पत्ति अधिकारी किया गया है।

2. निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए भौतिक सत्यापन का विवरण– भौतिक सत्या मार्च 2013 को किया गया।

3. शेल्फ आयु कालातीत होने के कारण प्रचलातीत सामग्री (इन्वेन्ट्री) का विवरण (दवाइयां, पाट्र्स, उर्वरक, खाद इत्यादि)– कोई नहीं।

4. परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के उपायों की समीक्षा तथा उपयुक्तानुसार, ऐसी परिसम्पत्तिय मौजूदगी का सत्यापन। प्रबंधन का उद्देशय यह सुनिश्चित करना है कि सम्पत्तियां यथोचित पर्याप्त रूप से संरक्षित है तथा उनका समुचित प्रबंधन तथा लेखांकन किया गया है। परिसम्प की सुरक्षा मात्र छोटी– मोटी चोरी तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि खतरों जैसे कि पानी, बिजली इत्यादि संबंधी सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए– प्राधिकरण सम्पत्ति के हेतु पर्याप्त उपाय किये गये थे। जिसमें अग्नि समन यंत्र, दीमक उपचार एवं सुरक्षा गार्ड कार्यालय उपलब्ध थे।

आंतरिक नियंत्रण– नियन्त्रण की मौजूदा प्रणाली, संगठन की स्थापना के अनुरूप है।

1. निर्धारित करना कि क्या नियंत्रण की मौजूदा प्रणाली संगठन की स्थापना से मेल खाती नियंत्रणों को जहां तक संभव है प्रचालन कार्यों (ऑपरेटिंग फंक्शन) के अंदर रखना एक ल प्रभावी उपाय के रूप में काम करता हैं– नियन्त्रण की मौजूदा प्रणाली संगठन की स्थापना अनुरूप है।

2. प्रत्येक नियंत्रण की समीक्षा तथा लागत और लाभों के संदर्भ में विश्लेषण– नगर-निवे एवं विकास अधिनियम 1973 (संशोधित 2009) द्वारा नियन्त्रित एवं संचालित था, परन्तु सम नियन्त्रण से सम्बन्धी, सड़क पंजिका चार्ट तथा कार्य पंजिका का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा जिसमें कार्य के दोहराव की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

वित्तीय विवरण–

1. लेखा परीक्षा द्वारा आच्छादित समस्त क्षेत्रों में वित्तीय नियमो/पुस्तिका प्रावधानों के उल्लंघन

Scanned with CamScanner

2. लेखा तैयार करने की स्थिति (समयबद्धता और अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण ए0जी0/नियामक निकाया जैसा लागू है)– सम्परीक्षा के समय संस्था का लेखा तैयार था।

3. सांविधिक लेखा परीक्षकों के अभिमतों का विश्लेषण, यदि कोई– – कोई नहीं।

4. लागू प्रावधानों के अनुसार टीडीसी कटौती तथा सांविधिक प्राधिकारों के साथ समयबद्धता के साथ भुगतानों की स्थिति जहां लागू है।– टी0डी0एम की कटौती कर यथासमय जमा किया गया था।

5. बैंक समाधान/कोषागार समाधान की स्थिति, पाए गए किसी गबन के विवरण सहित जहां लागू है।– बैंक समाधान विवरण बनाया गया था, गबन का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया।(अनु0सं0–03 की आपत्ति क्रमांक–22)

6. लम्बित न्यायालय वादों के संबंध में देयताओं का विवरण– देयताओं का विवरण कोई नहीं है।

7. निधियों का व्यावर्तन, की घटनाओं को उजागर करना यदि कोई– कोई नहीं।

क्रमशः वित्तीय विवरण–

8. निधियों/अलेखाबद्ध संभूत ब्याज की पार्किंग/अवरूद्ध करने की घटनाओं को उजागर करना–

Scanned with CamScanner

9. अनुत्पादक व्ययों का विवरण– हरिलोक आवासीय योजना के अनुरक्षण पर आय
व्यय किया गया था। (अनुच्छेद–03 के आपत्ति सं0–03).

10. स्टाफ के अनावश्यक रखे जाने एंव सृजन का विवरण– अनुच्छेद–1(सूचना
क्रमांक–02 के अनुसार

11. परिहार्य व्यय

12. उपकरणों/जीवन रक्षक उपकरणों तथा अन्य उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा

13. निष्क्रिय निवेश– कोई नहीं।

14. उन नीतियों,योजनाओं,प्रक्रियाओं,कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित
स्थापित प्रणाली की समीक्षा करना, जिनका प्रचालन तथा प्रतिवेदनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव
है और अवधारित करना चाहिए कि क्या संगठन अनुपालन में है।– संस्था का परिच
नियोजन एंव विकास अधिनियम 1973 (संशोधित–2009) के आधार पर किया जा रहा था।

Scanned with CamScanner

9. अनुत्पादक व्ययों का विवरध– हरिलोक आवासीय योजना के अनुरक्षण पर अ
व्यय किया गया था। (अनुच्छेद–03 के आपत्ति सं0–03)

10. स्टाफ के अनावश्यक रखे जाने एंव सृजन का विवरण– अनुच्छेद–1(सूचना
क्रमांक–02 के अनुसार

11. परिहार्य व्यय

12. उपकरणों/जीवन रक्षक उपकरणों तथा अन्य उपकरणों का उपयोग नहीं किया

13. निष्क्रिय निवेश– कोई नहीं।

14. उन नीतियों,योजनाओं,प्रक्रियाओं,कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित
स्थापित प्रणाली की समीक्षा करना, जिनका प्रचालन तथा प्रतिवेदनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव
है और अवधारित करना चाहिए कि क्या संगठन अनुपालन में है।– संस्था का परि
नियोजन एंव विकास अधिनियम 1973 (संशोधित–2009) के आधार पर किया जा रहा था।

Scanned with CamScanner

हरिद्वार विकास प्राधिकरण
वर्ष 2011–12 एवं 2012–13

आपत्ति क्रमांक– 1

स्वीकृत मानचित्र–पत्रावलियों पर भू–स्वामित्व का प्रमाण पत्र संलग्न न होनाः– आलोच्य सम्परीक्षा अवधि में आवासीय भवनो के प्रस्तुत स्वीकृत मानचित्र पत्रावलियों की जाँच करने पर पाया गया कि भू–खण्ड स्वामित्व वाले मानचित्र तो स्वीकृत किये गये थे परन्तु मानचित्र के साथ सम्बन्धित भूखण्ड के स्वामित्व का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं थें जिसमें सम्बन्धित स्वीकृत भू खण्डों के मानचित्र सम्बन्धी स्वामित्व का सत्यापन नहीं किया जा सका। उदाहरण के लिये (i) माअ0/हरि0/एस0डब्लू0–215/2011–12 "श्रीमति रेनुका अरोडा पुत्री श्री के0एल0 बजाज निवासी प्लाट नं0– 29, गुरू वक्स विहार आनन्दमई रोड कनखल, हरिद्वार, (ii)मान0/हरि0/एस0डब्लू0–233/2011–12, "श्री दिनेश कुमार एवं सतीश कुमार पुत्र श्री रामरतन प्लाट नं0–64, द्वारिका विहार कालोनी ग्राम सुल्तानपुर माजरी परगना ज्वालापुर खसरा नं0–5, (iii) मान0 पत्रावली/म0यो0–1(क) मान0/हरि0/एम0 डब्लू0–60/12–13 "श्री दिलीप कुमार तिवारी पुत्र श्री पुलस्वाय तिवारी प्लाट नं0–18 द्वारिका विहार कालोनी सुलतानपुर माजरी, परगना ज्वालापुर जिला हरिद्वार, इत्यादि।

अतः स्थिति स्पष्ट कराते हुये इस प्रकार के समस्त मामलों में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा संस्तुतिः– स्थिति स्पष्ट कराते हुये उपरोक्त प्रकार के समस्त मामलों में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः– संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि स्वीकृत किये जाने हेतु मानचित्र पत्रावलियों पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा भू–स्वामित्व की पुष्टि खसरा खतौनी/दाखिल खारिज की प्रति प्राप्त करके ही मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक–

आपत्ति क्रमाक– 2

सड़क चौड़ीकरण क्षेत्र पर सब डिविजन शुल्क न लिए जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति 104243=00:– मानचित्र पत्रावलियों की जाँच करने से प्रकाश में आया कि, प्राधिकरण द्वारा सब डिविजन शुल्क सम्पूर्ण भूखण्ड क्षेत्र फल पर न लेकर सड़क चौडीकरण क्षेत्र कम करते हुए शेष भूखण्ड क्षेत्र फल पर आगणित करते हुए वसूल किया गया था। उपविभाजन शुल्क नेट प्लाट एरिया पर लिये जाने सम्बन्धी नियम/शासनादेश सम्परीक्षा में अनुपलब्ध रहे, इस प्रकार सड़क

Scanned with CamScanner

चौडीकरण क्षेत्र को कम करते हुए सबडिविजन शुल्क लिए जाने के फलस्वरूप
में उपलब्ध प्रकरणों में निम्न विवरणानुसार ₹ 104243=00की क्षति हुई।

मानचित्र पत्रावली संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	सड़क चौडीकरण क्षेत्र (वर्ग मी0)	शेष क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	सड़क चौडीकरण क्षे उपविभाजन शुल्क के क्षेत्रफल×सर्किल रेट×
मान0/हरि0/एस0डब्लू0-63/2012-13	388.72	19.29	369.43	19.29×8700×1%
मान0/हरि0/एस0डब्लू0-65/2012-13	227.53	41.65	185.88	41.65×8700×3%
मान0/हरि0/एस0डब्लू-43/2012-13	189.59	3.93	185.66	3.93×13850×1%
मान0/हरि0/एस0डब्लू-50/2012-13	105.94	40.33	65.61	40.33×7490×1%
मान0/हरि0/एस0डब्लू-75/2012-13	222.967	25.176	197.791	25.176×24600×1%
मान0/हरि0/एस0डब्लू-56/2012-13	154.98	30.95	124.03	30.95×6200×1%
मान0/हरि0/एस0डब्लू-55/2012-13	133.79	16.20	117.59	16.20×11500×1%
मान0/हरि0/एस0डब्लू-58/2012-13	269.96	3.54	266.42	3.54×10,000×3%
मान0/हरि0/एस0डब्लू-231/2011-12	332.02	77.69	254.33	77.69×6800×3%
मान0/हरि0/एस0डब्लू-230/2011-12	193.30	14.14	179.16	14.14×5350×1%
मान0/हरि0/एस0डब्लू-77/2012-13	139.37	19.87	119.50	19.87×9100×1%
मान0/हरि0/एस0डब्लू-78/2012-13	278.59	59.23	219.36	59.23×7300×1%
मान0/हरि0/आर0एस0-10/36/2012-13	1522.85	167.23	1355.62	167.23×167250×2%

योगः-

लेखा परीक्षा संस्तुतिः- आर्थिक क्षति की क्षतिपूर्ति अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः- संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि रोड वाईडनिंग क्षेत्र द्वारा किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है अतः उक्त उपविभाजन शुल्क भी नहीं लिया जाता है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू कार्य योजना-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू समय रेखा-

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू उत्तरदायी पदधारक-

Scanned with CamScanner

415 सन्दर्भ

आपत्ति क्रमाक– 3

हरिलोक अनुरक्षण पर आय से अधिक व्यय ₹ 1062108=00:– भुगतान एवं प्राप्ति विवरणों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011–12 में हरिलोक आवासीय कालोनी के अनुरक्षण पर प्राधिकरण द्वारा ₹ 13,59,076=00 व्यय किया गया था जबकि अनुरक्षण मद में आय मात्र ₹ 6,05,639=00 हुई। इसी प्रकार वर्ष 2012–13 में हरिलोक अनुरक्षण पर व्यय ₹ 9,98,681=00 के सापेक्ष मात्र ₹ 6,90,010=00 आय हुई। उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा–7 के अनुसार आवासीय कालोनी का अनुरक्षण करना प्राधिकरण के उद्देश्यों/कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं था। अतः प्राधिकरण को उपरोक्तानुसार वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में क्रमशः ₹ 7,53,437=00 तथा ₹ 3,08,671=00 की क्षति हुई जो प्राधिकरण के हितो के प्रतिकूल था।

लेखा परीक्षा संस्तुतिः– उपरोक्त के सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर पर आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः– चूंकि हरिलोक कालोनी नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है अतः इसे हस्तान्तरण करना सम्भव नहीं है। परन्तु हरिलोक कालोनी का अनुरक्षण शुल्क की आय बढाये जाने हेतु मांग आरोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु कार्य योजना–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु समय रेखा–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतु उत्तरदायी पदधारक–

आपत्ति क्रमाक– 4

प्रशासन

अध्यक्ष/आयुक्त कैम्प कार्यालय/आवास की रंगाई पुताई आदि पर अनियमित व्यय रूपये 88,972=00:– चैक सं0 "686595" दिनांक 04.08.2012 द्वारा के अध्यक्ष/आयुक्त गढवाल मण्डल के कैम्प कार्यालय/आवास की रंगाई पुताई आदि हेतु मै0 अब्दुला लतीफ ठेकेदार पौड़ी गढवाल को निम्न बिलो के सापेक्ष आयकर कटौती उपरान्त ₹ 83,632=00 भुगतान किया गया था।

बिल सं0	दिनांक	धनराशि
1374	14.05.2012	14040
1320	15.05.2012	14960
1322	16.05.2012	14960
1326	17.05.2012	10640
1330	18.05.2012	11400
1328	21.05.2012	14972
1331	22.05.2012	8000
	योग	₹ 88972

Scanned with CamScanner

उक्त कार्य में निम्नलिखित अनियमिततायें प्रकाश में आयीः–

1. कोई कार्यादेश निर्गत नहीं था।
2. कोई प्रावलन तैयार नहीं कराया गया था।
3. कोटेशन/टेण्डर आमंत्रित नहीं थे।
4. कुल कार्य के सापेक्ष टुकडों में विभाजित कर बिल प्राप्त किये गये थे।
5. वित्तीय/प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृत उपलब्ध नहीं थी।
6. बिलो पर व्यापार कर रजिस्ट्रेशन संख्या अंकित नहीं थी।
7. बिल सं0 1320 पर दिनांक 15.05.2012 जबकि पश्यातवर्ती बिल संख्या 1324 प 14.05.2012 अंकित थी।
8. कार्य की मापें उपलब्ध नहीं थी।
9. अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार क्रय समिति का प्रमाण पत्र अंकित नहीं था।

इसके अतिरिक्त आयुक्त आवास/कैम्प कार्यालय राज्य सम्पत्ति विभाग के भवन में आवस्थित था जिसके अनुरक्षण/रंगाई पुताई का जिम्मा राज्य सम्पत्ति विभाग अतः उपरोक्त भुगतान पूर्णतः अनियमित था।

लेखा परीक्षा संस्तुतिः– अनियमित भुगतान की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित विभाग से करा अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः– संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि अध्यक्ष/आयुक्त कार्यालय बिल प्रमाणित कर भुगतान हेतु भेजे गये जिसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया है। अभिलेख अध्यक्ष/आयुक्त कैम्प कार्यालय में उपलब्ध है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू कार्य योजना–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू समय रेखा–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू उत्तरदायी पदधारक–

आपत्ति क्रमाक– 5

विलम्ब दण्ड की वसूली न किया जानाः– चैक सं0 "731212" दिनांक 27.12.2012 द्वा आदि शिव कंस्ट्रक्शन को अनुबन्ध सं0 21/2006–07 इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग मीटर मार्ग के बाद हिन्दुस्तान लीवर के और सड़क व नाली निर्माण कार्य के पंचम ए देयक का रू0 9,67,773=24 भुगतान किया गया था।

पत्रावली में नोट शीट सं0 31 पर अवर अभियन्ता की टिप्पणी के क्रम में कार्याल 1261/अमि0 1(क)–44/2006–07 दिनांक 18.07.2011 द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु दिना 2011 तक की समय वृद्धि प्रदान करते हुए यह भी अवगत कराया गया कि कार्य अतिरिक्त समय वृद्धि प्रदान नहीं की जायेंगी।

उक्त पत्र के बाद दिनांक 13.09.2012 तक पत्रावली के कोई टिप्पणी अंकित न कार्य पूर्ण किया गया अथवा नहीं।

Scanned with CamScanner

पत्रावली नोट शीट सं0 36 पर निर्गत लिपिक द्वारा कार्य हेतु स्वीकृत अन्तिम तिथि 31.08.2011 नियत थी अतः कार्य की औपचारिक समय वृद्धि तिथि नियत करते हुए स्वीकृति अपेक्षित है" अंकित किया गया जिसके क्रम में सहायक अभियन्ता द्वारा "कार्य दिनांक 31.08.2011 को पूर्ण किया जा चुका है" अंकित किया गया। ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण होने की कोई सूचना पत्रावली में उपलब्ध नहीं पायी गयी, न ही प्राधिकरण की ओर से कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया।

कार्य की मापें–माप पुस्तिका सं0 101(2) के पृष्ठ सं0 1 से 93 पर अंकित थी। कार्य की मापे भी पृष्ठ 87 पर दिनांक 13.07.2011 के उपरान्त लगभग डेढ़ वर्ष के अन्तराल के बाद दिनांक 12.12.2012 को अंकित करते हुए पंचम एवं अन्तिम देयक तैयार किया गया था जिसके सापेक्ष उपरोक्तानुसार भुगतान किया गया।

उल्लेखनीय है कि माप पुस्तिका में अंकित मापे प्रथम रनिंग बिल के उपरान्त कभी भी सहायक अभियन्ता द्वारा जांच नहीं की गयी थी।

यदि कार्य 31.08.2011 को पूर्ण किया जा चुका था तो कार्य की माप लगभग डेढ वर्ष उपरान्त दिनांक 12.12.2012 को अंकित किये जाने का औचित्य नहीं था।

अतः किसी भी प्रकार कार्य 31.08.2011 तक पूर्ण होने की पुष्टि नहीं होती है। माप पुस्तिका में माप की तिथि 12.12.2012 को कार्य पूर्ण किये जाने की तिथि मानते हुए कार्य में हुए विलम्ब हेतु अनुपलब्ध के प्रावधानानुसार लागत मूल्य के 1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से जमा जमानत राशि की अधिकतम सीमा तक दण्ड आरोपित किया जाना चाहिए था। परन्तु प्राधिकरण द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर बिना विलम्ब दण्ड के भुगतान कर दिया गया। विलम्ब दण्ड के अधिकतम ₹ 4,94,008=00 (जमानत राशि) की वसूली अपेक्षित है।

विदित है कि कार्य मद सं0 1/1 अर्थवर्क कुल कार्य 5143.63 घनमीटर कार्य हेतु रूपये 155/प्रतिघन मीटर की दर से 7,97,262=65 + 3% (टैण्डर दर) = ₹ 8,21,180=53 भुगतान किया गया था जिसमें से नियमानुसार 12.50 प्रतिशत कम्पैकशन की कटौती नहीं की गयी थी जिसके फलस्वरूप ₹ 1,02,647=57 का अधिक भुगतान किया गया था।

लेखा परीक्षा संस्तुतिः– उपरोक्तानुसार वसूली अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः– संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि सहायक अभियन्ता की आख्यानुसार कार्य स्वीकृत तिथि के अन्दर ही पूर्ण किया जा चुका था। अतः विलम्ब दण्ड वसूली योग्य नहीं था।

अर्थ वर्क की मापें कम्पैक्शन को छोडकर ही अंकित की गयी थी अतः पृथक से कम्पैक्शन हेतु कटौती नही की गयी है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू कार्य योजना–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू समय रेखा–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू उत्तरदायी पदधारक–

Scanned with CamScanner

आपत्ति क्रमाक– 6

मानचित्र आवेदन शुल्क कम लिए जाने के फलस्वरूप आर्थिक क्षति ₹ 10,495=00

संख्या 4697 श0वि0–आ0–2004–80 (सा)/2003 दिनांक 19.10.04 द्वारा विकास भवन मानचित्र से सम्बन्धित शुल्को का निर्धारण किया गया था। उपर्युक्त शासनादेश परिशिष्ट के क्रमांक 1(1–1) (क) में आवासीय उपयोग के अन्तर्गत आवासीय भवनों क्षेत्रफल 100 वर्गमीटर तक ₹ 100=00, 101 से 200 वर्गमीटर तक ₹ 200=00, वर्गमीटर तक ₹ 300=00 तथा उसके पश्चात ₹ 2=00 प्रति वर्गमीटर की दर से पर जो भी अधिक हो" के अनुसार मानचित्र आवेदन शुल्क का प्रावधान किया गया मानचित्र पंजिका की जाँच में पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा 300 वर्ग मीटर से वाले प्रकरणों में निर्धारित ₹ 2 प्रति वर्गमीटर की दर से न लेकर कम आवेदन शुल्क था जिससे प्राधिकरण को निम्न विवरणानुसार ₹ 10,495=00 की आर्थिक क्षति हुई।

मानचित्र आवेदन शुल्क कम लिया जाना

मानचित्र पत्रावली संख्या	नाम	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	प्राप्य आवेदन शुल्क	प्राप्त आवेदन शुल्क
500–04/11–12	प्रकाश चन्द शर्मा	341.41	684	419–35 =384
500–12/11–12	बलवन्त सिंह	305.25	612	348–35 =313
500–14/11–12	हेम चन्द	398.18	798	515–35 =480
500–29/11–12	पूनम	305.76	612	348–35 =313
500–30/11–12	चंचल	306.48	614	350–35 =315
500–42/11–12	विक्रम सिंह	325.87	652	387–35 =352
500–57/11–12	स्वामी ओमानन्द	655.50	1312	1048–35 =1013
500–59/11–12	पर्ल इंस्टीट्यूट	418.21	838	575–35 =540
500–87/11–12	सुनील कुमार गुप्ता	435.59	872	872
500–133/11–12	दीपक अरोडा	369.86	740	475–35 =440
500–166/11–12	माता सुनीता देवी शक्ति संस्थान	443.87	888	623–35 =588
500–181/11–12	मनोज गुप्ता	400.89	802	535–35 =502
500–186/11–12	प्रदीप जैन	539.98	1080	815–35 =780
500–222/11–12	नारायण दास	408.24	818	555–35 =520
500–240/11–12	सुनील अग्रवाल	314.27	630	364–35 =329
500–241/11–12	—"—	308.55	618	352–35 =317

Scanned with CamScanner

500–14/12–13	राजीव बंसल	330.16	662	398–35 =363	299
500–41/12–13	सुनैना	342.52	686	421–35 =386	300
500–57/12–13	ओम प्रकाश	786.21	1574	1307–35 =1272	302
500–59/12–13	कुसुम लता	457.38	916	640–35 =615	301
500–63/12–13	सुशीला देवी	369.43	740	465–35 =430	310
500–70/12–13	बृजनाथ	399.76	800	535–35 =500	300
500–91/12–13	गौतम कुमार वर्मन	483.25	968	703–35 =668	300
500–109/12–13	राजीव बंसल	689.29	1380	1115–35 =1080	300
500–132/12–13	पुष्पा देवी	327.60	656	391–35 =356	300
500–170/12–13	श्री भगवान देव योगाश्रम ट्रस्ट	474.88	950	685–35 =650	300
500–180/12–13	म0 राम नारायण गिरि	385.32	772	472	300
500–187/12–13	श्री नारायण पुरी	315.88	632	367–35 =332	300
500–188/12–13	श्री तुषार शर्मा	327.29	656	391–35 =356	300
500–236/12–13	गीता पोली	315.00	630	365–35 =330	300
500–248/12–13	राम जी भाई	495.52	992	750–35 =715	277
500–257/12–13	निशान्त गोयल	631.26	1264	1000–35 =965	299
500–258/12–13	अम्बा जी	949.76	1900	1635–35 =1600	300
500–259/12–13	बेली राम कुमार	339.86	680	417–35 =382	298
500–274/12–13	नीरज कुमार	304.84	610	345–35 =310	300
500–312/12–13	सुभाष गुप्ता	552.30	1106	842–35 =807	299
				योग:–	₹ 10,495

लेखा परीक्षा संस्तुतिः– आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति कराया जाना अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः– संदर्भित प्रकरण के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 4697, दिनांक 19.10.2004 में 300 वर्गमी0 तक रू0. 300–00 तथा उसके पश्चात रू0. 2–00 प्रति वर्गमी0 की दर निर्धारित है तदनुसार ही आवेदन शुल्क लिया गया।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू कार्य योजना–

Scanned with CamScanner

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू समय रेखा–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू उत्तरदायी पदधारक–

आपत्ति क्रमाक– 7

हरिलोक अनुरक्षण शुल्क की राशि विलम्ब से जमा किया जानाः– रसीद संख्या 62
626/13 दिनांक 19.03.2012 एवं 20.03.2012 द्वारा हरिलोक अनुरक्षण शुल्क क्रमशः
एवं ₹ 828=00 प्राप्त थे। उक्त धनराशि की दिनांक 29.03.2012 को रोकड़ बही में
गया था। विलम्ब से जमा का कारण स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा संस्तुतिः– विलम्ब से जमा का कारण स्पष्ट कराया जाना अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः– संदर्भित प्रकरण के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि सम्बन्धित क
अवकाश पर होने के कारण विलम्ब हुआ। भविष्य में ऐसा न किये जाने हेतु सम्बन्धित
को सचेत कर दिया गया है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू कार्य योजना–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू समय रेखा–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू उत्तरदायी पदधारक–

आपत्ति क्रमाक– 8

सब स्टैण्डर्ड कार्य हेतु दण्ड आरोपित न किया जानाः– चैक सं0 "731574" दिनांक 0
द्वारा भूपतवाला रानीगली मार्ग के अन्तरिक सड़कों का सुदृडीकरण कार्य के तृतीय/अं
का श्री नरेन्द्र कुमार ठेकेदार को ₹ 6,02,283=00 भुगतान किया गया था। पत्रावली
जॉच में पाया गया कि प्राधिकरण पत्रांक 1396 दि0 29.07.2011 द्वारा भेजे गये सै
टेस्टिंग के क्रम में कार्यलय शोध अधिकारी, मृतिका खण्ड–2 सिंचाई अनुबंधान संस्था
की रिपोर्ट के अनुसार ठेकेदार द्वारा सीमेन्ट की मात्रा कम प्रयुक्त किये जाये पर नोट
पर अंकित गणनानुसार कम लगाये गये सीमेन्ट के मूल्य ₹ 2,29,429=30 की कटौती क
सीमेन्ट मूल्य की कटौती किया जाना उचित था। परन्तु ठेकेदार द्वारा म
विपरीत कार्य किया गया जिससे कृत कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हुयी, इस हेतु सीमेन्ट
अतिरिक्त कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी अर्थात उतनी ही धनराशि की कटौती
जितना मूल्य का सीमेन्ट ठेकेदार द्वारा अनियमित रूप से बचाया गया था।

2– इसी प्रकार चैक सं0 "744798" दिनांक 11.01.2012 द्वारा तपोवन बद्रीनाथ मा
गढ़वाल में विभिन्न सी0पी0 सड़कों का निर्माण कार्य हेतु II & final bill के सापेक्ष श्री
पोखरियाल ठेकेदार को ₹ 6,09,267=65 का भुगतान किया गया था। इसमें भी टेस्टिंग
आधार पर कम प्रयुक्त सीमेन्ट की गणना कर सीमेन्ट मूल्य ₹ 16,060=00 की कटौती
थी। गुणवत्ता प्रभावित करते हुए मानको के विपरीत निर्माण कार्य हेतु कोई दण्डातमक
नहीं की गयी थी।

Scanned with CamScanner

412

लेखा परीक्षा संस्तुतिः– उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः– संदर्भित प्रकरण के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि पी0डब्लू0डी0मानको के अनुसार कार्यों को स्वीकृत करते हुए आवश्यक कटौती उपरान्त ही भुगतान किया गया है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू कार्य योजना–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू समय रेखा–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू उत्तरदायी पदधारक–

आपत्ति क्रमाक– 9

भवन निर्माण अग्रिम की वसूली न किया जानाः– भवन अग्रिम पंजिका की जाँच से प्रकाश में आया कि श्री मामचन्द, अवर अभियन्ता को 18.12.1991 को प्रदत्त भवन निर्माण अग्रिम ₹ 50,000=00 के सापेक्ष माह मार्च, 2000 के उपरान्त कोई वसूली नहीं की गई थी। आलोच्य अवधि के अन्त में श्री मामचन्द पर उक्त अग्रिम का ₹ 11,976 तथा भवन निर्माण अग्रिम पर अधावधिक ब्याज वसूली हेतु शेष था।

इसी प्रकार श्री राजीव, सहा0 अभियन्ता से वर्ष 1995–96 में प्रदत्त भवन निर्माण अग्रिम ₹ 1,40,000 के सापेक्ष माह जून, 2005 के पश्चात कोई वसूली नहीं की गयी थी। श्री दीक्षित पर ₹ 1472 मूलधन तथा भवन निर्माण अग्रिम पर अधावधिक ब्याज वसूली हेतु शेष था।

उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त दोनो कर्मचारी अधिकारी अन्यथा विकास प्राधिकरणों हेतु कार्यमुक्त किये जा चुके थें।

लेखा परीक्षा संस्तुतिः– उपरोक्त अग्रिमों की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः– संदर्भित प्रकरण के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि भवन निर्माण अग्रिमों की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू कार्य योजना–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू समय रेखा–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू उत्तरदायी पदधारक–

आपत्ति क्रमाक– 10

बिना खाता खतौती भू स्वामित्व की पुष्टि अनियमितः–

1–मानचित्र सं0– मान/हरि/S.W–38/2011–12 दिनांक 15.06.2011 की पत्रावली जांच करते समय पाया गया कि उक्त पारित नक्शा में भूस्वामित्व प्राधिकरण अधिवक्ता की आख्या/राय के अनुसार प्रमाणित था। मानचित्रकार द्वारा प्राधिकरण अधिवक्ता से भू स्वामित्व आख्या चाही गयी थी।

Scanned with CamScanner

मानचित्र पारण में भू स्वामित्व आख्या के लिये अधिवक्ता को पत्रावली किन
अन्तर्गत दी गयी थी स्पष्ट नहीं था। प्राधिकरण अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में आख्या
राय दी गयी थी और उक्त राय को अवर अभियंता द्वारा आख्या मानते हुये भू स्वामित्व
माना गया था। विक्रय विलेख (बैनामा) के साथ खसरा खतौनी/दाखिल खारिज पत्र
उपलब्ध नहीं था।

2– इसी प्रकार पत्रावली मान0/हरि0/S.W–227/2011–12 श्रीमति रेखा शर्मा मै0
हरिद्वार में भी प्राधिकरण अधिवक्ता द्वारा स्वामित्व की पुष्टि रजिस्ट्री/विक्रयविलेख के
की गयी थी।

लेखा परीक्षा संस्तुतिः– भूस्वामित्व की पुष्टि हेतु खसरा खतोनी/दाखिल खारिज की प्र
किया जाना अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः– संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि स्वीकृत किये जाने हेतु
पत्रावलियों पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा भू–स्वामित्व की पुष्टि
खतौनी/दाखिल खारिज की प्रति प्राप्त करके ही मानचित्र स्वीकृत किये जा रहे है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू कार्य योजना–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू समय रेखा–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू उत्तरदायी पदधारक–

आपत्ति क्रमाक– 11

सबडिविजन शुल्क कम लिया जानाः– रसीद सं0 627/92 दिनांक 12.03.2012
/हरि0/500–220/2011–12 के सापेक्ष श्रीमति चारू मेहता, न्यू हरिद्वार
ग्राम–अहमदपुर कडच्छ ज्वालापुर, हरिद्वार से कुल ₹ 31,590=00 प्राप्त था। जिसमे
अतिरिक्त भूखण्ड क्षेत्रफल 178.36 वर्ग मी0 द0 सर्किल रेट 11,100=00 प्रति0वर्ग0मी0
प्रतिशत की दर से ₹ 19,798=00 सबडिविजन शुल्क लिया गया था। संलग्न दिवस
अनुसार दो तरफ रास्ता होने के कारण भूमिदर का 10 प्रतिशत अधिक अर्थात सर्किल
12,210=00 प्रति वर्ग मीटर थी। इस प्रकार 12,210–11100=1110 का 1 प्रतिशत ₹
प्रतिवर्ग मीटर की दर से 178.36 वर्ग मी0 ₹ 1979.80 सबडिविजन शुल्क कम लिया
प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा संस्तुतिः– कम लिये गए शुल्क की प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः– संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि कम सबडिवीजन शुल्क की
सम्बन्धित आवेदक से करा ली जायेगी।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू कार्य योजना–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू समय रेखा–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू उत्तरदायी पदधारक–

Scanned with CamScanner

411

आपत्ति क्रमांक– 12

विज्ञापन सूचना विभाग के माध्यम से जारी न किया जानाः– आलोच्य वर्षो में प्राप्ति एंव भुगतान विवरण के अनुसार क्रमशः ₹ 14,92,436=00 तथा ₹ 12,67,872=00 का भुगतान विभिन्न समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के विविध विज्ञापनों हेतु किया गया था। पत्रावली की जांच में पाया गया कि प्राप्त विज्ञापन सूचना विभाग के माध्यम से निर्गत न करके सीधे निर्गत किये गये थे। जो सूचना अनुभाग के शासनादेश संख्या 75/प्र0स0सू0/2009 दिनांक 09.10.2009 तथा 452/xxii/2011–(2)2008 दिनांक 21.11.11 का उल्लंघन था।

लेखा परीक्षा संस्तुतिः– उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः– संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि जिला सूचना अधिकारी हरिद्वार द्वारा प्राधिकरण के विज्ञापन इस आशय से प्रकाशन न किये जाने हेतु वापस किये गये है कि प्राधिकरण स्थानीय निकायों के अन्तर्गत आता है जिनके विज्ञापन बाजारू मूल्य पर प्रकाशित किये जाते है। इसलिए विज्ञापन प्राधिकरण स्तर से ही प्रकाशित कराये जाते है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू कार्य योजना–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू समय रेखा–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू उत्तरदायी पदधारक–

आपत्ति क्रमांक– 13

पुनरीक्षण

शमन मानचित्र निर्गत न किया जानाः– पत्रावली संख्या नो0 ज्वा0/399/06–07 की जाँच में पाया गया कि श्रीमति वीना शर्मा, पत्नी श्री शिव कुमार शर्मा के शमन आदेश पत्र दिनांक अंकित के क्रम में प्राधिकरण पत्रांक –मीमो/नो0/ज्वालापुर/399/06–07 दिनांक 12.04.2009 द्वारा शमन शुल्क गणना करते हुए ₹ 43,123=00 जमा कराने तथा शमन मानचित्र में पीले रंग से दर्शाये गये अशमनीय निर्माण के स्वयं ध्वस्त किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। बिल संख्या– 26/637 दिनांक 26.06.2012 ₹ 25,179=00, 55/636 दिनांक 16.06.2012 ₹ 27,000=00, तथा 69/661 दिनांक 09.04.2013 ₹ 11,000=00 ब्याज सहित शमन शुल्क जमा था परन्तु अशमनीय निर्माण को तोड़े जाने के सम्बन्ध में न तो शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था न ही तोड़े जाने का कोई अन्य विवण अथवा प्राधिकरण कर्मचारी/अधिकारी की कोई आख्या पत्रावली पर उपलब्ध थी। सम्परीक्षा तिथि तक शमन मानचित्र निर्गत नही किया गया था।

लेखा परीक्षा संस्तुतिः– उपरोक्त के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करते हुए मानचित्र निर्गत किया जाना अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः– संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि आवेदक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये के उपरान्त ही शमन मानचित्र निर्गत कर दिया जायेगा।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू कार्य योजना–

Scanned with CamScanner

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू समय रेखा–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू उत्तरदायी पदधारक–

आपत्ति क्रमाक– 14

परिवाद अर्थदण्ड/जुर्माने की धनराशि प्राप्त न किया जानाः– प्राधिकरण को वर्ष 2006 में निर्णीत वादो से से सम्बन्धित राशि मात्र ₹ 43,000=00 रसीद सं0 78/662/दिना 2013 द्वारा प्राप्त थें।

आलोच्य अवधि मे सी0जे0एम0 कोर्ट हरिद्वार द्वारा विभिन्न परिवादों में हरिद्वा प्रधिकरण के पक्ष में ₹ 3,28,000=00 परिवाद अथदण्ड/जुर्माने के आदेश पारित थे।

जिसे प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त गत विगत वर्षो की अप्राप्त प्राप्त किये जाने हेतु भी कार्यवाही अपेक्षित है।

टिप्पणीः– विगत वर्षो में प्राधिकरण के पक्ष में परिवाद अर्थदण्ड/जुर्माने सम्बन्धी कोइ अनुरक्षित नहीं की गयी थी जिस कारण कुल अर्थदण्ड की धनराशि स्पष्ट नहीं हो प पंजिका अनुरक्षित करते हुए अर्थदण्ड का कववरण भी अंकित किया जाना अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा संस्तुतिः– जुर्माने की अप्राप्त धनराशि को प्राप्त किए जाने हेतु प्रभावी किया जाना अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः– संदर्भित प्रकरण में परिवाद अर्थदण्ड/जुर्माने की धनराशि को प्र हेतु प्रयास किया जा रहा है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू कार्य योजना–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू समय रेखा–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू उत्तरदायी पदधारक–

आपत्ति क्रमाक– 15

पार्किंग स्थल की अनुपलब्धता पर शमन शुल्क न लिए जाने के फलस्वरूप आधि ₹ 69,89,112=00:– रसीद संख्या 29/606 दिनांक 22.06.11, 48/609 दिनांक 88/619 दिनांक 15.12.2011, 55/637 दिनांक 29.06.2012, 94/640 दिनांक 01.08.20 12/641 दिनांक 06.08.2012 द्वारा पत्रावली संख्या– नो0/ज्वा0/126/2002–03 मै क्लासिक रेजीडेन्सी हरिद्वार से शमन शुल्क के रूप में क्रमशः ₹ 2,00,000, ₹ ₹ 200000, ₹ 200000, ₹ 1500000 तथा ₹ 16,535=00 कुल ₹ 23,16,535=00 पत्रावली की जाँच में पाया गया कि प्राधिकरण के नोटिस संख्या– नो0/ज्वा0/126/ दिनांक 14.06.2002 के क्रम में प्रबन्धक होटल क्लासिक रेजीडेन्सी हरिद्वार के शमन आ दिनांक 29.05.2007 पर कार्यवाही करते हुए नोट सीट संख्या 23 से 28 पर शमन

Scanned with CamScanner

गणना कराने हेतु पत्र संख्या 4809 दिनांक 04.03.2009 प्रेषित किया गया था। होटल क्लासिक रेजीडेन्सी के प्रार्थना पत्र दिनांक 12.06.2009 के बिन्दु संख्या 6 में पूर्व में दिनांक 02.02.1988 को स्वीकृत मानचित्र में पार्किंग प्रावधान न होने के कारण पार्किंग शमन शुल्क न लगाने की प्रार्थना पर, पत्रावली नोटशीट संख्या 36 पर सहायक अभियन्ता द्वारा प्राधिकरण सचिव एवं उपाध्यक्ष से विचार विमर्श के पश्चात, पार्किंग शमन शुल्क आरोपित न किये जाने के निर्णय से अवगत कराया गया जिसके क्रम में नोटशीट संख्या 37 से 41 पर पूर्व में आगंणित पार्किंग शमन शुल्क ₹ 69,89,112=00 को छोडते हुए तथा अन्य मदों में आंशिक संशोधन करते हुए पुनः कुल शमन शुल्क ₹ 23,16,535=00 आंगणित करते हुए पत्रांक 3430 दिनांक 09.03.2010 द्वारा मांग पत्र प्रेषित किया गया जिसके क्रम में उपरोक्तानुसार धनराशि प्राप्त थी।

विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि 1996 के अनुसार पार्किंग हेतु आरक्षित स्थल उपलब्ध न होने पर पार्किंग हेतु निर्धारित क्षेत्रफल की भूमि के मूल्य का दो गुणा शमन शुल्क के रूप में देय था। इसी आधार पर नोटसीट सं0 23 से 28 पर शमन शुल्क की गणना की गयी थी। प्राधिकरण की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 यथा संशोधित 2004 एवं 2007 के नियम 1.3 तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनिमय 2011 उत्तराखण्ड के नियम 1.2.1 के अनुसार उक्त उपविधियों के प्रावधान भवन के निर्माण के साथ–साथ पुनर्निर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन पर भी लागू थे। उपरोक्त उपविधियों में क्रमशः नियम 3.10 तथा 2.1.3 में पार्किंग हेतु प्रावधान किये गये थें जो उपरोक्त नियम 1.3 तथा 1.2.1 के अनुसार पुनर्निर्माण, परिवर्तन, परिवर्द्धन की दशा में भी लागू थे। होटल क्लासिक रेजीडेन्सी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.06.09 के प्रस्तर 1 व 4 से स्पष्ट था परिवर्धन (addition) किया गया हैं अतः पार्किंग शमन शुल्क आरोपित न किये जाना पूर्णतः अनियमित एवं आपत्तिजनक था जिसमे फलस्वरूप प्राधिकरण को ₹ 69,89,112=0 की अर्थिक क्षति हुई। उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा संस्तुतिः– उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः– संदर्भित प्ररकण में अवगंत कराना है कि पूर्व मे स्वीकृत मानचित्र में तत्समय लागू भवन उपविधियों के अनुसार पार्किंग स्थल निर्धारित नहीं था उसी आधार पर वर्तमान में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पार्किंग शमन शुल्क न लिये जाने हेतु आदेशित किया गया था।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू कार्य योजना–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू समय रेखा–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू उत्तरदायी पदधारक–

आपत्ति क्रमाक– 16

प्राधिकरण निधि का दुरूपयोग ₹ 24,10,016=00:– अवस्थापना विकास समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में सूर्यग्राम ढालवाला में सामुदायिक निर्माण का ठेका श्री इकबाल अहमद ठेकेदार के नाम स्वीकृत था। पत्रावली की जाँच में पाया गया कि प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु स्थल के भू स्वामित्व की पुस्टि नहीं करायी गयी। भू स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रधान, ग्राम पंचायत ढालवाला, विकास खण्ड–नरेन्द्र नगर टिहरी गढवाल में पत्र

Scanned with CamScanner

दिनांक 08.09.2006 तथा उपजिलाधिकारी, नरेन्द्र नगर के पत्र संख्या–मैमो/ दिनांक 28.09.2006 (पत्र में 2006 के स्थान पर 3006 अंकित) को आधार लेते हुए समाज का मान लिया गया। राजस्व अभिलेखों से खसरा खतौनी/फरहद की प्रति गयी।

भू–स्वामित्व की पुष्टि कराये बिना ही दिनांक 08.04.2011 के निविदा आमं का ठेका श्री इकबाल अहमद ठेकेदार के नाम स्वीकृत करते हुए पत्रांक 923/ 43/2007–08 दिनांक 17.06.2011 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया। उक्त कार्यादे ठेकेदार द्वारा स्थल पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया।

श्रीमति आशा सरन द्वारा न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन देहरादून में उक्त भूमि पर अपनी दावेदारी व्यक्त करते हुए प्राधिकरण के वि 17/1012 दायर किया गया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक द्वारा वाद ग्रस्त सम्पत्ति पर निर्माण करने से प्राधिकरण को निषिद्ध किया गया। उक्त विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा मानवीय जिला एवं सत्र न्यायालय देहरादून में अपील सं0 62/ गयी जिस पर दिनांक 28.05.2012 को माननीय न्यायालय द्वारा स्थल पर फिलि अतिरिक्त कोई निर्माण कार्य न किये जाने के आदेश पारित किये गये। तत्क्रम में स्थ बन्द करा दिया गया तथा निम्न विवरणानुसार कुल कृत कार्य 24,10,016.27 के सा को भुगतान कर दिया गया।

चैक संख्या	दिनांक	धनराशि	विवरण
745032	23.1.12	7,39,817=83	प्रथम रनिंग बिल
685833	07.05.2012	12,64,790=00	द्वितीय रनिंग बिल
731267	22.01.2013	1,85,118=29	तृतीय रनिंग बिल

इसके अतिरिक्त पत्रावली प्रथम के नोट सीट सं0 20 पर अंकित अवर अ टिप्पणी दिनांक 08.12.2009 के अनुसार उक्त स्थल का महायोजना में भू उपभोग बी- निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत था जिसमें सामुदायिक केन्द्र निर्माण अनुमन्य नहीं था तथा भव में सामुदायिक केन्द्र हेतु निर्धारित न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल 850 वर्गमीटर से कम स्थल भवन उपविधि की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करता था।

उपरोक्त से स्पष्ट था कि प्राधिकरण द्वारा सामुदायिक केन्द्र का निर्माण उप विपरीत बिना भूस्वामित्व की पुष्टि किये ही कराया जा रहा था जिस पर ₹ 24,10,0 भुगतान कर प्राधिकरण निधि का दुरूपयोग किया गया।

लेखा परीक्षा संस्तुतिः– दुरूपयोग के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः– संदर्भित प्रकरण मे अवगत कराना है कि भू–स्वामित्व की पुष्टि पचायत ढालवाला एवं उपजिलाधिकारी नरेन्द्र नगर से प्राप्त आवश्यक प्रमाण पत्र एवं होने के उपरान्त ही कार्य कराया गया था।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू कार्य योजना–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू समय रेखा–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू उत्तरदायी पदधारक–

Scanned with CamScanner

आपत्ति क्रमाक– 17

इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 (ग्रुप हाउसिंग):– प्राधिकरण द्वारा इन्द्रलोक आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग में 48–01 रूम फ्लैट दुर्बल आय वर्ग हेतु तथा 96–2बी0एच0के0 फ्लैट की परियोजना तैयार कर वर्ष 2011–12 में फ्लैटों के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये।

आवेदन पत्र की शर्तो के अनुसार दुर्बल आय वर्ग हेतु 01 रूम फ्लैट का अनुमानित मूल्य ₹ 6,95,000=00 निर्धारित था। भुगतान की शर्तो के अनुसार नकद भुगतान पद्धति के अन्तर्गत 10 प्रतिशत अवेदन के साथ 25 प्रतिशत आवन्टन पर तथा आवन्टन पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर शेष 65 प्रतिशत धनराशि जमा करायी जानी है, किश्त भुगतान पद्धति के अन्तर्गत शेष 65 प्रतिशत धनराशि 80 समान तिमाही किश्तो में 12 प्रतिशत वार्षिक व्याज सहित भुगतान किया जाना था।

दुर्बल आय वर्ग के आवेदको हेतु अधिकतम मासिक आय ₹ 5000=00 अर्थात ₹ 60000=00 वार्षिक निर्धारित थी। शेष 65 प्रतिशत राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज सहित 80 तिमाही किश्तो की गणना पर प्रति किश्त ₹ 14958=00 आती है। इस प्रकार आबन्टी को प्रतिमाह 14958/3 ₹ 4,986=00 अथवा प्रतिवर्ष ₹ 59,832=00 किश्त के रूप में जमा कराना है। जिस व्यक्ति की समस्त स्रोतो से पारिवारिक आय ₹ 5000=00 प्रतिमाह या ₹ 60,000=00 प्रतिवर्ष हो, वह किस प्रकार किश्त जमा करायेगा, यह योजना की सफलता पर एक प्रश्न चिन्ह है। स्पष्ट है कि परियोजना निहित स्वार्थो की पूर्ति हेतु बनाई गई थी। उदाहरण स्वरूपः–

1– रसीद सं0 36/635 दिनांक 05.06.2012 द्वारा श्री दीपक वर्मा पुत्र श्री ओमवीर सिंह से दुर्बल आयवर्ग आवासीय येाजना इन्द्रलोक में एक रूम फ्लैट अनुमानीत मूल्य ₹ 6,95,000=00 के आवन्टन के सापेक्ष आबन्टन राशि ₹ 1,73,750=00 प्राप्त थे। कार्यलय पत्रांक 257/सम्पत्ति/ग्रुप हाउसिंग फ्लैट इन्द्रलोक योजना/2011–12 दिनांक 27.04.2012 द्वारा अनुमानित मूल्य ₹ 6,95,000=00 की अवशेष 65 प्रतिशत धनराशि को ₹ 4,51,750=00 को 12 प्रतिशत ब्याज सहित 80 समान तिमाही किश्तो में प्रति किस्त ₹ 14,958=00 जमा कराने हेतु पत्र प्रेषित था। प्रार्थी द्वारा दिये गये शपथ पत्र तथा संलग्न अन्य प्रमाण पत्र के अनुसार प्रार्थी की आय ₹ 50,000=00 प्रति वर्ष थी। ऐसे में प्रार्थी के द्वारा तिमाही किस्त के रूप में ₹ 14,958=00 किस प्रकार जमा कराया जायेगा ?

2– इसी प्रकार रसीद सं0 58/636 दिनांक 18.06.2012 द्वारा श्रीमती सुषमा शर्मा से आवंटन राशि ₹ 173750=00 प्राप्त थी। शेष 65 प्रतिशत राशि 12 प्रतिशत व्याज सहित 80 समान तिमाही किश्तों में ₹ 14,958=00 जमा कराई जानी थी। प्रार्थी के आय प्रमाण पत्र के अनुसार आय ₹ 4000=00 प्रतिमाह अर्थात ₹ 48,000=00 प्रतिवर्ष थी।

लेखा परीक्षा संस्तुतिः–योजना का पुर्नमूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः– संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि प्रस्ताव प्राधिकरण की 56 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.05.2013 मैं प्रस्ताव रखा गया जिसमें चर्चा न होने के कारण आगामी बोर्ड बैठक में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है ।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू कार्य योजना–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू समय रेखा–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू उत्तरदायी पदधारक–

Scanned with CamScanner

आपत्ति क्रमाक– 18

बेचे गये भूखण्डों के मूल्य का 10 प्रतिशत अधिभार न लिए जाने के फलस्वरूप ₹ 2,46,93,154=00:– आवास अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय 152/9–आ–1–1998 दिनांक 15 जनवरी, 1998 के प्रस्तर–5(छ) में विकास प्राधिकर जाने वाले भूखण्डों के मूल्य पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाये जाने तथा उक्त शत–प्रतिशत राशि को अवस्थापना विकास निधि में जमा किये ाने के निर्देश पारि हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा इन्द्रलोक आवासीय योजना तथा ट्रांसपोर्ट नगर अन्तर्गत सम्परीक्षा तिथि माह जून, 2013 तक विक्रय किये गये क्रमशः 498 तथा 60 उपरोक्तानुसार 10 प्रतिशत अधिभार वसूल नहीं किया गया। जिसके फलस्वरूप प्र निम्न विवरणानुसार ₹ 2,46,93,154=00 की आर्थिक क्षति हुई:–

योजना का नाम	भूखण्ड का विवरण	भूखण्डों की संख्या	दर	क
इन्द्रलोक आवासीय योजना	एच0आई0जी0ए0			
	300 वर्ग मी0	03	14,10,000=00	
	––तदैव––			42,
	––तदैव––	30	8,10,000=00	
	एच0आई0जी0बी0	01	23,51,100=00	2,43,0
	250 वर्ग मी0	04	11,75,000=00	23,5
	––तदैव––			47,0
	एच0आई0जी0सी0	22	6,75,000=00	
	200 वर्ग मी0	39	5,40,000=00	1,48,5
	एच0आई0जी0डी0			2,10,6
	162 वर्ग मी0	122	4,37,400=00	
	एम0आई0जी0–ए0			5,33,62
	120 वर्ग मी0	21	5,64,000=00	
	––तदैव––			1,18,44
	––तदैव––	90	3,24,000=00	
	एम0आई0जी0–बी0	01	9,40,440=00	2,91,60
	90 वर्ग मी0	02	4,23,000=00	9,40
	––तदैव––			8,46
	एल0आई0जी0	65		
	72 वर्ग मी0	34	2,43,000=00	1,57,95
	––तदैव––		3,38,400=00	1,15,05
ट्रांसपोर्ट नगर	––तदैव––	63		
	गोदाम हेतु भूखण्ड	01	1,94,400=00	1,22,47,
	875 वर्गमीटर	03	5,64,264=00	5,64,
	––तदैव––		56,00,000=00	1,68,00,0
	889.875 / 457.50 / 493.02 / 460.50	04	6,400=00 (प्रतिवर्ग मीटर)	1,47,25,7
	आफिस हेतु भूखण्ड 20.034 वर्ग मीटर	24	1,28,218=00	30,77,232

Scanned with CamScanner

--तदैव--	02	1,82,309=00	3,64,618=00
स्पेयर पार्ट शाप 20.034 वर्ग मीटर	24	1,28,218=00	30,77,232=00
--तदैव--	01	1,82,310=00	1,82,310=00
--तदैव--	04	2,37,003=00	9,48,012=00
		योगः–	24,69,31,536
		का 10 प्रतिशत	
		₹	2,46,93,154=00

लेखा परीक्षा संस्तुतिः– आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति कराया जाना अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः– संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15.01.1998 द्वारा अवस्थापना विकास निधि के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये थे। प्राधिकरण में अवस्थापना विकास समिति द्वारा उक्त शासनादेश को लागू नहीं किया गया ऐसी स्थिति में अधिभार लिया जाना विधि सम्मत नहीं है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू कार्य योजना–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू समय रेखा–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू उत्तरदायी पदधारक–

आपत्ति क्रमाक– 19

अनाधिकृत निर्माण सम्बन्धी वादों की स्थितिः– मार्च, 2013 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार प्राधिकरण में अनाधिकृत निर्माण सम्बन्धी 2070 वाद लम्बित थें। इतनी बड़ी संख्या में वाद लम्बित रहना प्राधिकरण हितों के विपरीत था।

लेखा परीक्षा संस्तुतिः– लम्बित वादो के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्य योजना बनाया जाना अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः– संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों को वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्राधिकरण की समीक्षा बैठक दिनांक 17.07.2013 में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू कार्य योजना–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू समय रेखा–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू उत्तरदायी पदधारक–

आपत्ति क्रमाक– 20

विनियमितीकरण से पूर्व समयमान वेतनमान के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किए जाने के फलस्वरूप अधिक भुगतान ₹ 7,01,481=00:– श्री आनन्द राम आर्या, अवर अभियन्ता की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली की जाँच से प्रकाश में आया कि आवास विभाग, उत्तराँचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्य– 3534/V/आ0–2006–08(आ0)/2005 दिनांक 22.12.06 द्वारा

Scanned with CamScanner

श्री आर्या को तात्कालिक प्रभाव से अवर अभियन्ता पद पर विनियमित किया गया था। श्री
01.01.2006 को वेतनमान 4500–125–7000 में मूल वेतन 6500=00 पा रहे थे, जिसे शा
संख्या–2293/V–आ–06–146(आ)/2006 दिनांक 27.04.2007 द्वारा दिनांक 21.06
वेतनमान 5000–150–8000 में उच्चीकृत किया गया था। श्री आर्या की वेतनवृद्धि तिथि
थी। आवास विभाग, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या– 268/V–आ–20
(आ0)/05 दिनांक 07 फरवरी, 2008 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शा
संख्या–वे0आ0–2–560/दस–45(एम0)–99 दिनांक 02.12.01 के अनुरूप समयमान वेतन
व्यवस्था विकास प्राधिकरणों में लागू किये जाने पर श्री आर्या को 14 वर्ष की सेवा पर
01.03.2002 से प्रथम प्रोन्नत वेतनमान 8000–275–13200 स्वीकृत करते हुए वेतन निर्धारि
गया। उक्त शासनादेश दिनांक 02.12.01 के प्रस्तर 1(2) के अनुसार 14 वर्ष की सेवा प
प्रोन्नत वेतनमान तभी देय था जबकि सम्बन्धित पद पर कर्मचारी नियमित हो चुका हो
स्थिति में श्री आर्या को नियमितीकरण की तिथि से पूर्व प्रोन्नत वेतनमान देय नहीं था
प्रकार श्री आर्या को विनियमितीकरण की तिथि से पूर्व अनियमित रूप से प्रोन्नत वे
स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप माह दिसम्बर, 2012 तक संलग्न विवरणानुसार ₹ 7,01,48
अधिक भुगतान किया गया।

लेखा परीक्षा संस्तुतिः– अधिक भुगतान की वसूली अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः– अप्राप्त ।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू कार्य योजना–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू समय रेखा–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू उत्तरदायी पदधारक–

आपत्ति क्रमांकः– 21

अशोक कुमार तुम्बडिया के अशमनीय भाग के ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में:– माननीय
न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.08.2011 में दो सप्ताह के भीतर श्री अशोक
तुम्बडिया के अशमनीय भाग को ध्वस्त करने के आदेश दिये गये थें। उक्त आदेश के अनु
में विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण हेतु ₹ 6,20,720=00 का व्यय किया गया था। जि
प्रतिपूर्ति श्री अशोक तुम्बडिया से नहीं कराई गई थी।

लेखा परीक्षा संस्तुतिः– स्थिति स्पष्ट कराई जाये अन्यथा प्रतिपूर्ति अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः– अप्राप्त।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू कार्य योजना–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू समय रेखा–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू उत्तरदायी पदधारक–

Scanned with CamScanner

407

आपत्ति क्रमाक– 22

वित्तीय स्थितिः– आलोच्य अवधि में प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति निम्नवत् थीः–

	2011–12	2012–13
01 अप्रैल का प्रतिशेष	32,39,94,469=00	40,37,58,539=00
वर्ष की आय	19,52,62,210=50	20,69,33,424=79
योग	51,92,56,679=95	61,06,91,964=04
वर्ष का व्यय	11,54,98,140=70	13,68,39,279=84
31 मार्च को इतिशेष	40,37,58,539=25	47,38,52,684=20
जोडिएः–		
(1) बिना भुने चैको की राशि	19,13,921=00	16,79,827=00
(2) विगत वर्षो का बैंक समाधान अन्तर	49,312=00	49,312=00
घटाइएः–		
(1) बैंक संग्रह हेतु जमा परन्तु बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं	2,05,842=00	––
(2) विगत वर्षो का बैंक समाधान अन्तर	––	––
(3) बैंक द्वारा त्रुटिपूर्ण डेबिट	4,407=00	2,800=00
31 मार्च को वास्तविक शेष	40,55,11,523=25	47,55,79,023=20

बैंक शेष का विवरणः–

1– सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया खाता सं0 8000/1577844296	2,94,80,927=58	3,03,12,072=58
2– ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स खाता सं0 386/52452040000010	5,79,21,563=73	6,13,65,954=61
3– भारतीय स्टेट बैंक खाता सं0–11137	9,22,387=82	9,59,754=82
4– इलाहाबाद बैंक खाता सं0 20342084711	2,11,093=28	2,19,622=28
5– विजया बैंक खाता सं0 451	7,48,82,982=25	10,42,555=04
6–एक्सिस बैंक खाता सं0 25513	2,65,60,580=50	5,91,73,601=78
7–एक्सिस बैंक (F)	51,04,200=00	–
8–पंजाब नेशनल बैंक खाता सं0 137608	3,36,85,767=10	4,85,10,319=10
9– ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स खाता सं0–08	68,32,608=41	28,67,837=41
10– बैंक आफ इण्डिया खता खाता सं0–3710	–	5,12,20,760=00
11– पी0एल0ए0	99,06,545=58	99,06,545=58
12– पंजाब नेशनल बैंक 57382	2,867=00	–
13– सावधि जमा	16,00,00,000=00	21,00,00,000=00
योग–	40,55,11,523=25	47,55,79,023=20

Scanned with CamScanner

टिप्पणीः–
(1) रोकड बही लेजर किसी भी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थें।
(2) रोकड़ बही के शेष सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं थें।
(3) पी0एल0ए0 की पासबुक सम्परीक्षा में अप्रस्तुत रही जिस कारण इसके अवशेष का स नहीं हा सका।
लेखा परीक्षा संस्तुतिः– उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः– संदर्भित प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकर बैलेन्सशीट तैयार होने पर कैशबुक लेजर पर सम्बन्धित अधिकारियों से हस्ताक्षर करा जायेंगे।
पी0एल0ए0 खाता मेलाधिकारी द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। अतः उसकी पास बुक कार्यालय में उपलब्ध है ।
लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू कार्य योजना–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू समय रेखा–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू उत्तरदायी पदधारक–

आपत्ति क्रमाक– 23
राजकीय अनुदानः– प्रमाणित किया जाता है कि प्राधिकरण कों आलोच्य अवधि में प्राप्त रा अनुदानों का उपयोग, निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन उन्ही उद्देश्यों हेतु किया ग जिनके लिए वे स्वीकृत थे, विचलन की दशा में उसका उल्लेख सम्परीक्षा टिप्पणी में यथा कर दिया गया है।
राजकीय अनुदानों के प्राप्ति, उपभोग एवं अवशेष की स्थिति संलग्न प्रपत्र–'66' में दी है।
टिप्पणीः– (1) अनुदान पंजी सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थी।
(2) आई0डी0एस0एम0डी0 के अनुदान की राशि लम्बी अवधि से अवशेष चली आ रही सम्बन्धित पत्रावलियां सम्परीक्षा में अनुपलब्ध रही। अवशेष राशि को यथाशघ्र शासन को किया जाना अपेक्षित है।
(3)कुम्भ मेला अनुदान की अवशेष राशि शासन को वापस किया जाना अपेक्षित है।
लेखा परीक्षा संस्तुतिः– उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
विभाग का उत्तरः– संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि शासन से प्राप्त दिशा निर्देश कार्यवाही कर ली जायेगी।
लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू कार्य योजना–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू समय रेखा–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू उत्तरदायी पदधारक–

Scanned with CamScanner

406

आपत्ति क्रमाक– 24

सम्परीक्षा शुल्कः– वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 की सकल आय क्रमशः ₹ 19,52,62,211=00 एवं ₹ 20,69,33,425=00 पर क्रमशः ₹ 5,86,310=00 एवं ₹ 6,21,320=00 कुल ₹ 12,07,630=00 सम्परीक्षा शुल्क आरोपित किया गया। इसे राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा संस्तुतिः– आरोपित सम्परीक्षा शुल्क राजकोष में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

विभाग का उत्तरः– संदर्भित प्रकरण में अवगत कराना है कि सम्रपीक्षा शुल्क वित्तीय वर्ष 2013–14 के बजट मद में प्राविधान के अनुसार जमा करा दिया जायेगा।

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू कार्य योजना–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू समय रेखा–

लेखा परीक्षा अभिमत के समाधान हेतू उत्तरदायी पदधारक–

आपत्ति क्रमाक– 25

राजकीय ऋणः– आलोच्य अवधि में प्राधिकरण को कोई राजकीय ऋण प्राप्त नहीं था एवं न ही गत वर्षो का कोई ऋण प्रतिदान हेतु शेष था।

आपत्ति क्रमाक– 26

विनियोजनः– आलोच्य अवधि के अन्त में ₹ 21 करोड़ निम्न विवरणानुसार विनियोजित थेः–

सावधि जमा रसीद सं0 / दिनांक	बैंक का नाम	धनराशि	परिपक्वता तिथि
184723 / 29.04.12	विजया बैंक	10,00,00,000=00	29.04.13
184912 / 11.09.12	विजया बैंक	2,50,00,000=00	16.10.13
184911 / 11.09.12	विजया बैंक	2,50,00,000=00	16.10.12
867889 / 11.09.12	यूनियन बैंक	5,00,00,000=00	11.09.13
196350 / 07.11.12	यूनियन बैंक	1,00,00,000=00	07.11.13
	योगः–	21,00,00,000=00	

Scanned with CamScanner

अनुच्छेद–4

लेखा–परीक्षा की सीमाएं

उदाहरणार्थ अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए, लेखा–परीक्षकों की पहुंच नहीं रही :–

चैक संख्या– 62362 दिनांक 19.01.2012 ₹ 1,45,76,852=00 का भुगतान भल्ला कालेज स्टेडि निर्माण हेतु राजकीय निर्माण निगम को किया गया था, सम्बन्धित पत्रावली, माप पुस्ति इत्यादि अभिलेखो की जांच सम्परीक्षा में नहीं की जा सकी।

अनुच्छेद–5

लेखा–परीक्षा संस्तुतियां

लेखा–परीक्षा समीक्षा के दौरान चिन्हित प्रक्रिया संबंधी कमियों, अंतरालों अभिमतो के संबंध में सुधार हेतु सुझाव :–

(1) प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत किसी भूखण्ड विशेष पर या किसी भवन विशेष का मानचित्र प्राधिकरण स्वीकृत किया गया है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के पास कोई पारदर्शी विवरण उपलब्ध था, और न, ही इस सम्बन्ध में कोई नीति बनाई गई थी।

(2) अनाधिकृत निर्माण को प्रारम्भिक स्तर पर रोकन हेतु ठोस नीति का अभाव परिलक्षित हुआ।

(3) अनाधिकृत निर्माण के शमन प्रकरणों में प्रकाश में आया कि अधिकांश शमन स्वीकृत आदेश सम्बं से शपथ पत्र प्राप्त कर निर्गत किये गये थे, शपथ पत्र के अनुसार शपथ कर्त्ता ने अशमनीय निर्माण ध्वस्त किया अथवा नहीं इस सम्बन्ध में कोई आख्या पत्रावली में संलग्न नही पाई गयी।

(श्री महीप कुमार सिंह)
वरिष्ठ लेखा परीक्षक

(श्री गंगा सिंह रावत)
सहायक लेखा परीक्षक

(डॉ0 विजय लक्ष्मी)
जिला सम्परीक्षा अधिकारी, हरिद्वा
एवं टीम लीडर, पार्टी सं0–3

प्रतिहस्ताक्षरित

आस्था गुप्ता
निदेशक,
आडिट उत्तराखण्ड
देहरादून

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

पत्रांकः 792/नि0को0वि0से0/2012–13

404

प्रेषक,

उपनिदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवायें,
(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग)
देहरादून उत्तराखण्ड

सेवा मे,

उपाध्यक्ष/सचिव,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

दिनांकः 06 जून 2012

विषयः आपत्ति निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्रांक 4353, दिनांक 31 मार्च 2012 के द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या के आधार पर निम्नलिखित आपत्तियो का निस्तारण किया जाता है।

वर्ष	सम्परीक्षा आख्या के अनुच्छेद	पद	आपत्तियो की संख्या
2009–10 से 2010–11	1(4),(6)(क)(ख)(ग)(घ),(7),(8),(9),(10),(11),(12),(13),(14),(16),(17),(18),(19),(20),(21),(22),(23),(24),(25),(26),(30)(क)(ख),(31),(32),(33),(34),(35),(36),(37),(38),(39),(40),(41),(42),(43),8(1),(2),(3),(4),	–	43
		योग	43

(के0एन0 दुमका)
उप निदेशक
कोषागार एंव वित्त सेवायें,
(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग),
देहरादून उत्तराखण्ड

प्रतिलिपिः–

1. जिला सम्परीक्षा अधिकारी, हरिद्वार को सूचनार्थ।

(के0एन0 दुमका)
उप निदेशक

Scanned with CamScanner